प्राक्कथन

मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में संघ सरकार के राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम निहित हैं।

इस प्रतिवेदन में वह मामले शामिल हैं, जो वित्तीय वर्ष (वि.व.) 2017-18 से 2019-20 के दौरान की गई धारा 281बी प्रक्रिया की नवंबर 2020 और मार्च 2021 के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा और आयकर विभाग द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों और दस्तावेजों के आगे के सत्यापन, जो जून 2022 तक जारी रहे, के दौरान ध्यान में आए।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।